न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – झंवर लाल, (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 29/2024 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 भोलूराम भील पुत्र श्री मेघा भील जाति भील नि0 नायको का खेडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

.... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

..... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::–

श्री प्रवीण कुमार चौरडिया —— प्रार्थी अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 01 राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ़

निर्णय

दिनांक:::– 12.05.2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 10.02.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि सरहद मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 4740/1460, 4741/1460, 1461 अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रार्थी के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। यह कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 01 एक मे वर्णित आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 1478 से होकर विपक्षी की आराजी नम्बर 1462 रकबा 0.0759 हैक्टयर से होकर अपनी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी नम्बर 4740/1460, 4741/1460, 1461 मे आता जाता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित आराजीयात मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। उक्त रास्ते को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

यह है कि प्रार्थी की उक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है, लेकिन भू माफिया प्रवृति के लोगो की नियत मे फितुर होने से जबरन रास्ते की भूमि पर कब्जा कर रास्ते को अवरूद्ध करने पर आमादा है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी को दिनांक 01 एक फरवरी 2026 दो हजार छब्बीस

को रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये। यह है कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज नही है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमायी जाकर के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है। यह है कि उपरोक्त खातेदारो से प्रार्थी ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास मे सफल नही हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। यह है कि उक्त आराजी सरहद मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे स्थित होने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से आप न्यायालय के समक्ष पेश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 4740/1460, 4741/1460, 1461 मे आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 1478 से होकर विपक्षी की आराजी नम्बर 1462 रकबा 0.0759 हैक्टयर से से होकर अपनी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी नम्बर 4740/1460, 4741/1460, 1461 मे आता जाता, को रास्ता से 30 फीट चौडाई मे नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ—पत्र भी प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत प्रा0पत्र न्यायालय में दिनांक 05.02.2026 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजय जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया विपक्षी की तरफ से प्रार्थी के प्रा0पत्र के खनन मे किसी प्रकार से जवाब अथवा प्रति शपथ—पत्र प्रस्तुत नही हुआ। तत्पश्चात स्थिति को स्पष्ट कराने के लिए अधिनस्थ तहसीलदार हमीरगढ को प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते के बारे में स्थल निरीक्षण करा मोके की रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिनस्थ तहसीलदार हमीरगढ ने न्यायालय के आदेशानुसार अपने पत्र कमांक राजस्व/2026/263 दिनांक 21.04.2026 से भू0अ0नि0/हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट एवं मोका पर्चा तथा राजस्व नक्शे की प्रति तैयार कर उसमें प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि में खसरा नम्बर 1462 में प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से रोशन करते हुये अपना प्रतिवेदन भिजवाया तहसीलदार की ओर से मोका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थी अधिवक्ता की दिनांक 12.05.2026 को बहस सूनी गई प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी सम्वत् 2073—2076 खाता संख्या 1148 में अंकित आराजी खसरा संख्या 4741/1460 रकबा 0.1771है0, खाता संख्या 1351 में अंकित आराजी खसरा संख्या 4740/1460 रकबा 0.2529 है0, खाता संख्या 1336 में अंकित

आराजी खसरा संख्या 1461 रकबा 0.0506है0, भूमि पर आने जाने का एममात्र रास्ता सरकारी रास्ता नम्बर 1478 से होकर विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 1462 से होकर रास्ता गाडी गडार जो करीब 30 फीट चौडा है, से होकर अपनी आराजी मे आता जाता है।

उक्त आराजी भू–भाग में प्रार्थी को आवागमन के लिए रास्ते हेतु भूमि देने में तहसीलदार हमीरगढ ने कोई आपत्ति नही होना अपने पत्र में उल्लेखित किया है। राजकीय बिलानाम भूमि में भी राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में एक परिपत्र जारी कर यह आदेश पारित किया की किसी भी खातेदार को अपने खाते की कृषि भूमि में आवागमन हेतु राजकीय बिलानाम भूमि में से रास्ते हेतु भूमि दी जा सकती है। तथा रास्ते के उपयोग के लिए दी जाने वाले भूमि का प्रतिकर स्वरूप राशि का भुगतान सम्बन्धित खातेदार को डी.एल.सी दर की राशि से दुगुनी राशि का भुगतान करना होगा। चुकी प्रार्थी रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के लिए प्रतिकर स्वरूप भुगतान करने में सहमत है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार योग्य ठहराया जाता है। अतएव

–::आदेश::–

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रा0पत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(ए) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपने खाते की कृषि भूमि ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप प्रथम भू0अ0नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ **खाता संख्या 1148 में अंकित आराजी खसरा संख्या 4741/1460 रकबा 0.1771है0, खाता संख्या 1351 में अंकित आराजी खसरा संख्या 4740/1460 रकबा 0.2529 है0, खाता संख्या 1336 में अंकित आराजी खसरा संख्या 1461 रकबा 0.0506है0, में आवागमन हेतु आराजी संख्या 1462 रकबा 0.0759 है0 मे से रकबा 0.0063है0 (7 X 9 = 63 वर्गमीटर) आवागमन हेतु 30 फीट चोडा रास्ता स्वीकृत किया जाता है।**

उक्त रास्ते की भूमि का कुल क्षेत्र तहसीलदार हमीरगढ की रिपोर्ट के अनुसार 0.0063 है0 है। प्रार्थी उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के लिए डी.एल.सी दर की दुगुनी राशि राजकोष में तहसीलदार हमीरगढ के माध्यम से जमा करावें राशि जमा होने पर तहसीलदार हमीरगढ उक्त रास्ते को राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी व राजस्व नक्शे में इसका लाल स्याही से तरमीम करने की सुनिश्चिता करें। साथ बिलानाम आराजी खसरा नम्बर 1462 के मूल रंकबे से रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा 0.0063 है0 कम किया जावे। खर्चा फरकीन अपना–अपना वहन करें। आदेश की की प्रति पालना हेतु तहसीलदार हमीरगढ को प्रेषित की जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला-भीलवाडा